

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या-2279/2016/झुझुनूं

कुरडाराम चौधरी पुत्र नानकराम चौधरी
निवासी चरणसिंह कॉलोनी कोलसिया
तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं।

...अपीलार्थी

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, झुझुनूं।

...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोड़मल

अभिभाषक

श्री आर. के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04-10-2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प-29(बी)/अभि./झुझुनूं/आब/16/3537 दिनांक 09.09.2016 को पारित किये गये निर्णय दिनांक 09.09.2016 के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9(ए)(1)(बी) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में राशि रुपये 75,000/- जमा कराने पर संयोज्य के आदेश दिये गये हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.06.2016 को जिला आबकारी अधिकारी, झुझुनूं के द्वारा देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान भगेरा (निवाई) का निरीक्षण किया गया तो दुकान पर उपस्थित सैल्समेन द्वारा किंगफिशर बीयर की बोतल को उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य 94/- रुपये के स्थान पर 100/- रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया। दुकान पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के निर्धारित विक्रय मूल्य दर्शाने वाला डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया। दुकान पर उपस्थित सैल्समेन का स्वीकृत नौकरनामा नहीं पाया गया। दुकान पर स्टॉक रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया। दुकान पर स्थल मानचित्र उपलब्ध नहीं पाया गया, जिस कारण अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन होने से अनुज्ञाधारी श्री कुरडाराम, के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 58(सी) के तहत अभियोग संख्या 11

2M

लगातार.....2

दिनांक 08.06.2016 पंजीकृत किया गया। अनुज्ञाधारी ने दर्ज अभियोग को विभागीय स्तर पर संयोज्य कराने हेतु संयोज्य प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2016 प्रस्तुत किया है एवं जिला आबकारी अधिकारी, झुझुनूं ने अभियोग को संयोज्य कराने हेतु अभियोग पत्रावली अपनी अनुशंषा के साथ आबकारी आयुक्त को प्रेषित की गई। योग्य आबकारी आयुक्त महोदय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि अनुज्ञाधारी की मदिरा दुकान पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के निर्धारित विक्रय मूल्य दर्शाने वाला डिस्पले बोर्ड नहीं पाया गया। दुकान पर उपस्थित सैल्समेन का स्वीकृत नौकरनामा नहीं पाया गया। दुकान पर स्टॉक रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया। दुकान पर स्थल मानचित्र उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर बीयर बेचान किया जाना भी पाया गया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण मदिरा दुकान पर पाई गई अनियमितता एक गंभीर प्रकृति का अपराध हो कर अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन भी है। आबकारी आयुक्त ने अपीलाधीन निर्णय में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचाराधीन अभियोग को रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपया मात्र) जमा कराने पर संयोज्य के आदेश दिये हैं। संयोज्य राशि 15 दिवस में जमा न कराने की स्थिति में अनुज्ञाधारी का अनुज्ञापत्र राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34(सी) एवं राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 76(सी) के तहत निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। निर्णय में यह भी अवधारित किया गया है कि अनुज्ञाधारी द्वारा स्वेच्छा से उसके विरुद्ध पंजीबद्ध अभियोग को विभागीय स्तर पर संयोज्य हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अपराध को राजस्थान आबकारी अधिनियम, की धारा 70 के तहत शमनित किये जाने से, अनुज्ञाधारी पर विबन्धन का सिद्धान्त लागू होगा तथा यह आदेश, अन्तिम होकर, अनुज्ञाधारी को इसके विरुद्ध अपील दायर करने की अधिकारिता नहीं है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी की दुकान पर कोई अनियमिततायें नहीं पायी गयी थी। द्वेषतावश कार्यवाही की गई थी। अधिनियम की धारा 58(सी) के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में मात्र 500 रु तक ही जुर्माना राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. विचाराधीन प्रकरण में अनुज्ञाधारी के निरीक्षण दिनांक 07.06.2016 के दौरान अनियमितताएं पायी गयी है तथा अभियोग सं. 11/2016-17 दर्ज किया गया है। अनुज्ञाधारी अपीलार्थी श्री कुरडाराम द्वारा जिला आबकारी अधिकारी झुझुनू को आबकारी निरीक्षक वृत्त नवलगढ के जरिए अभियोग को संयोज्य करवाने हेतु निवेदन किया है तथा जिला आबकारी अधिकारी झुझुनू की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त महोदय ने अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत अपराध को शमनित करते हुए 75,000/- रु संयोज्य राशि जमा कराने के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उसकी दुकान पर अनियमितताएं नहीं पायी गयी थी क्योंकि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2016 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि वह दर्ज अभियोग को विभागीय स्तर पर निस्तारण करवाना चाहता है। अपीलार्थी का यह कथन है कि संयोज्य राशि ज्यादा है क्योंकि अधिनियम की धारा 58(सी) में 500/- रु तक ही जुर्माना राशि लिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दर्ज अभियोग का शमन (Compound) अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

70. Power of Excise officers to compound offences-(1) ⁵[Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Excise Commissioner or any other Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf] may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under this Act, or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money ⁶[not less than Rs. 5000/-but not exceeding 10 times of the annual licence fee in respect of manufacturing units/bonds and wholesale vends etc. and **not more than two times of exclusive privilege amount in case of liquor and beer shops alongwith other levies applicable from time to time**] in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for such offence **which may have been committed**, as the case may be, and in all cases whatsoever in which any property ⁷ [XXX] has been seized as liable to confiscation under this Act ⁸[may release all such property except an excisable article on payment of the value thereof as estimated by such officer and may confiscate the excisable article]:

Provided that no such composition shall be accepted from any officer or servant of the Excise Department for any offence under this Act committed by such officer or servant.

⁹[Provided further that no offence of manufacture, or possession for sale of an excisable article punishable under Section 54 shall be compounded].

25

(2) On the payment of such sums of money to such officer, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property in respect of such offence.

इस विधिक प्रावधान में एकाकी विशेषाधिकार राशि के दोगुने तक संयोज्य राशि निर्धारित की जा सकती है। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से अनुज्ञाधारी की दुकान की एकाकी विशेषाधिकार राशि के बारे में विवरण चाहे जाने पर उनके द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अनुज्ञाधारी श्री कुरडाराम के नाम से आवंटित दुकान निवाई की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि रु 19,36,420/- है जबकि विद्वान आयुक्त महोदय ने 75,000/- रु संयोज्य राशि निर्धारित की है जो धारा 70 के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 58(सी) में लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन के बारे में जुर्माना राशि का प्रावधान है जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्योंकि इस प्रकरण में अनुज्ञाधारी ने प्रकरण का संयोज्य राशि के बदले में शमन करवाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नरेश्वराम)
सदस्य